

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ), जयपुर

पीठासीन अधिकारी:- डॉ. अशोक कुमार RAS

अपील संख्या : 166/2018

1. जगदीश मीणा पुत्र श्री सोहनलाल मीणा, जाति-मीणा, निवासी-ग्राम गुणावता, तहसील-आमेर, जिला-जयपुर जरिये मुख्यारआम श्री प्रमोद गिल्होत्रा पुत्र श्री परमानन्द गिल्होत्रा, जाति-पंजाबी, निवासी-शाँप नं० 10, शिवशक्ति नगर-बी, जगतपुरा प्लाई ओवर के पास, मालवीय नगर, जयपुर।
2. प्रताप मीणा पुत्र श्री सोहनलाल मीणा, जाति-मीणा, निवासी-ग्राम गुणावता, तहसील आमेर, जिला-जयपुर जरिये मुख्यारआम श्री प्रमोद गिल्होत्रा पुत्र श्री परमानन्द गिल्होत्रा, जाति-पंजाबी, निवासी-शाँप नं० 10, शिवशक्ति नगर-बी, जगतपुरा प्लाई ओवर के पास, मालवीय नगर, जयपुर।

अपीलान्ट्स,

बनाम

1. जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर जरिये सचिव जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, आमेर, जिला-जयपुर।

रेस्पोडेंट्स,

(राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध नामान्तरकरण सं० 20 दिनांक 06.02.1999 के अन्तर्गत भूमि खेवट नं० 279 संख्या 271 ख० नं० 680 रकबा 2.41 हे० सिवायचक काबिल काश्त को जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज की गई बाबत।)

उपस्थित:-

1. श्री उमेश चन्द शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट्स की ओर से।
2. श्री आशीष कुमार गौतम, अभिभाषक, रेस्पोडेंट सं० 1 की ओर से।
3. श्री प्रहलाद रावत, राजकीय अभिभाषक।

निर्णय

दिनांक : 25.02.2021

यह अपील अपीलान्ट द्वारा ग्राम गुणावता पटवार हल्का लबाना, तहसील-आमेर स्थित आराजी कृषि भूमि साविक ख० नं० 10/417 जिसके हाल ख० नं० 680 रकबा 2.41 हे० सिवायचक भूमि जिस पर अपीलार्थीगण का गत 50-60 वर्षों से कब्जा चला आ रहा है को नामान्तरकरण सं० 20 दिनांक 06.02.1999 द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम तस्दीक किये जाने के विरुद्ध पेश की गई है।

अपील प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कराया जा कर रेस्पोडेंट्स को नियमानुसार नोटिस जारी किये गये तथा मातहत न्यायालय तहसीलदार, आमेर से प्रकरण से संबंधित मूल नामान्तरकरण प्राप्त किया गया।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी।

विद्वान् अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा दौराने बहस कथन किया कि ग्राम गुणावता पटवार हल्का लबाना तहसील आमेर, जिला-जयपुर में स्थित आराजी कृषि भूमि साविक ख० नं० 10/417 जिसके हाल ख० नं० 680 रकबा 2.41 हे० स्थित है। वादग्रस्त भूमि विगत वर्षों से सिवायचक दर्ज रिकार्ड थी तथा वादग्रस्त भूमि पर अपीलार्थीगण का गत 50-60 वर्षों से नियमित रूप से कब्जा रहा है। वादग्रस्त भूमि से बेदखली के लिये प्रार्थीगण को अन्तर्गत धारा 91 भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की बेदखली हेतु दो नोटिस जारी कर बेदखली की कार्यवाही की गई थी। जिसके संबंध में तहसीलदार, आमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.09.1995 के विरुद्ध अपर जिला कलक्टर, जयपुर द्वितीय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर जिला कलक्टर, जयपुर द्वितीय द्वारा निर्णय दिनांक 12.02.1996 को अपील अपीलान्ट अस्वीकार कर दी। उक्त निर्णय के



[Handwritten signature]

विरुद्ध अपीलार्थीगण द्वारा द्वितीय अपील न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, जयपुर के यहां प्रस्तुत की गई, जिसमें राजस्व अपील अधिकारी, जयपुर द्वारा अपीलान्तगण की दोनों अपील सं० 65/1996 व 66/1996 को स्वीकार करते हुए दण्डात्मक आदेशों को निरस्त कर अपीलार्थीगण का पुराना कब्जा मानते हुए तहसीलदार, आमेर को वादग्रस्त भूमि की पात्रता की जांच कर नियमन की पात्रता रखते हो तो विचार करने की कार्यवाही हेतु आदेश जारी किये गये। उक्त आदेश जारी होने के पश्चात् उपखण्ड अधिकारी, आमेर के समक्ष अपीलार्थीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि के आवंटन व नियमन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसके संबंध में तहसीलदार, आमेर से रिपोर्ट प्राप्त करने पर तहसीलदार, आमेर द्वारा रिपोर्ट दिनांक 21.10.2010 द्वारा अपीलान्त का सम्वत् 2043 के पूर्व कदमी से खसरा परिवर्तनशील के आधार पर कब्जा काश्त माना गया है। अपीलान्तगण का वादग्रस्त भूमि पर मौके पर पुख्ता कमरा एवं वाउण्ड्री वॉल बना होना बताया है। प्रशासन गावों के संग अभियान 2010 में वादग्रस्त भूमि के नियमन हेतु उपखण्ड अधिकारी, आमेर द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहा गया था जिसके संबंध में जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा उनके पत्रांक ज.वि. प्रा/उपा./जोन-13/2013/डी-312 दिनांक 08.04.2013 द्वारा ख०नं० 680 पर जयपुर विकास प्राधिकरण की कोई योजना भी प्रस्तावित नहीं होना बताया है। नगरीय विकास विभाग द्वारा भी अपने पत्रांक प.3(501)न.वि.वि/3/2013 दिनांक 03.01.2013 द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का सिफारशी पत्र भी जारी किया गया है, परन्तु जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा उनके यहां आवंटन नियम, 1970 लागू होना नहीं मानते हुए एन.ओ.सी. जारी नहीं की गई है। इसके पश्चात् अपीलान्त द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण के विरुद्ध वेदखली नहीं करने के संबंध में एक रिट याचिका सं० 1475/2011 माननीय उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर में दायर की गई जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 04.02.2011 को दिये गये स्थगन की निर्णय दिनांक 03.11.2014 द्वारा पुष्टि की गई।

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं करने से क्षुब्ध होकर अपीलान्त द्वारा विभिन्न अधिवक्तागण से विचार-विर्मश उपरान्त हस्तगत अपील माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया जाकर दिनांक 22.09.2017 को अन्दर मियाद अपील अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत की गई है। अपील प्रस्तुत करने में प्रार्थीगण को जो विलम्ब हुआ है उसका कारण विधिक जानकारी के अभाव में मजूबुरन हुआ है, जिसमें प्रार्थी की किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं रही है। अतः अपील अपीलान्त विलम्ब को माफ किया जाकर अन्दर मियाद शुमार मानते हुए गुणावगुण के आधार पर अपील निर्णित की जावें।

विद्वान् अधिवक्ता रेस्पोजेन्ट सं० 1 ने दौराने बहस कथन किया कि वादग्रस्त भूमि वर्तमान में जयपुर विकास प्राधिकरण की सीमा में है। वादग्रस्त भूमि सिवायचक होने के कारण तथा जयपुर विकास प्राधिकरण की सीमा में होने के कारण तहसीलदार द्वारा विधिवत् नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है। अतः अपील अपीलान्त खारिज की जावें।

परोकार सरकार ने दौराने बहस कथन किया कि वादग्रस्त भूमि की किस्म सिवायचक काविल काश्त होने के कारण जयपुर विकास प्राधिकरण की सीमा में आने के कारण तथा किसी व्यक्ति को आवंटन नहीं होने के कारण नियमानुसार तहसीलदार, आमेर द्वारा नामान्तरकरण सं० 20 ग्राम गुणावता दिनांक 06.12.1999 को तस्दीक किया गया है। अतः अपील अपीलान्त निरस्त की जावें।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया।

अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम में वर्णित तथ्यों के आधार पर विलम्ब के विन्दु पर अपील प्रस्तुतीकरण में हुये विलम्ब/डिले कण्डोन किया जाकर प्रार्थना पत्र धारा 05 स्वीकार किया जाता है।

वकील अपीलान्त ने दौराने बहस कथन किया है कि प्रार्थीगण का सम्वत् 2043 से कब्जा-काश्त रहा है। प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि पर अतिक्रमी है। तहसीलदार, आमेर की रिपोर्ट दिनांक 21.10.2010 में तहसीलदार द्वारा जगदीश पुत्र सोहनलाल मीणा एवं



[Handwritten signature]

प्रताप पुत्र सोहनलाल मीणा का सम्वत् 2043 से 2049 तक अतिक्रमण माना है। इसके पश्चात् अपनी रिपोर्ट में केवल मात्र यह अंकित किया है कि उक्त अतिक्रमियों का कब्जा-काश्त चला आ रहा है, परन्तु सम्वत् 2049 के पश्चात् अतिक्रमियों द्वारा बोई गई फसल के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई है। केवल मात्र मौके पर वादग्रस्त भूमि में एक पुख्ता कमरा बना होना बताया है। विद्वान् अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा केवल मात्र अपनी बहस में ही अपीलान्ट का लगातार कब्जा होना बताया है, परन्तु इस संबंध में अपीलान्ट पर सम्वत् 2049 के पश्चात् धारा 91 की कोई कार्यवाही के कोई विधिक साक्ष्य पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। मात्र अपीलान्ट अधिवक्ता के कथन के आधार पर अपीलान्ट का पुराने समय से कब्जा नहीं माना जा सकता। वादग्रस्त भूमि की किस्म सिवायचक काबिल काश्त होने के कारण तथा राज्य सरकार द्वारा उक्त भूमि को जयपुर विकास प्राधिकरण की सीमा में रखने की अधिसूचना जारी करने पर तहसीलदार, आमेर द्वारा नियमानुसार वादग्रस्त भूमि का नामान्तरकरण सं० 20 दिनांक 06.12.1999 को तस्दीक किया गया है, जो विधि अनुरूप है। माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम सं० 15 जयपुर महानगर, जयपुर ने भी दिनांक 25.03.2019 को पारित निर्णय में दावा बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष उनके न्यायालय से प्राप्त करने का क्षेत्राधिकार नहीं होने के कारण वादी का वाद लौटाया गया है। माननीय न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय में कोई भी निर्देश प्रदान नहीं किये गये हैं। जबकि प्रकरण को सक्षम न्यायालय में पेश करने के निर्देश प्रदान किये गये हैं। राजस्व अपील अधिकारी, जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.06.1996 द्वारा भी केवल मात्र आवंटी के सिविल कारावास की सजा को माफ किया गया है तथा यह निर्देश प्रदान किये गये हैं कि अपीलान्ट के पुराने कब्जे को दृष्टिगत रखते हुए यदि वे आवंटन/नियमन की पात्रता रखते हो तो उस पर विचार कर नियमानुसार कार्यवाही करें।

अतः उक्त विवेचनानुसार हमारा यह सुविचारित मत है कि यदि अपीलान्ट का नियमित कब्जा है और वह नियमन की पात्रता रखता है तो उसे सक्षम न्यायालय/ अधिकारी के समक्ष नियमानुसार पक्ष रखते हुए कार्यवाही करनी चाहिए। अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में नामान्तरकरण सं० 20 निरस्त करने के संबंध में अनुतोष चाहा गया है। जबकि तहसीलदार द्वारा नियमानुसार/विधि अनुसार सिवायचक भूमि होने के कारण जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है। अपीलान्टस को इस न्यायालय से कोई अनुतोष दिया जाना संभव नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट आधारहीन एवं सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है।

अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकार्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 25.02.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।



(Handwritten Signature)
25.2.21

(डॉ. अशोक कुमार)

अतिरिक्त कलक्टर (चतुर्थ);
जयपुर